" फुला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान "

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– " फुला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान "

2. प्रधान कार्यालय :– इस संस्था का प्रधान कार्यालय–**सरस्वती विहार कॉलोनी, सांईचक,पो0+थाना–बेउर,जिला–पटना,पिन–800002 (बिहार)** होगा । आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :– इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार होगा ।

4. उद्देश्य :– इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :–

1. समाज के सभी वर्ग के महिलाओं,पुरूषों,दलित,पिछड़ों,आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो,अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक,नैतिक एवं आर्थिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
2. आदर्श ग्राम के निर्माण हेतु संस्था द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना एवं स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करना ।
3. लोगों के बीच शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं विभिन्न स्तरों के शिक्षण संस्थान का संचालन करना । विधालय,महाविधालय,आवासीय विद्यालय, शिक्षण केन्द्र, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय,पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, नवाचारी शिक्षा, वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान संग्रहालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,महादलित विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना एवं गरीब तथा मेघावी छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना ।
4. संस्था द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि,इलेक्ट्रीक,कम्प्यूटर,इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी गैर तकनीकि शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना और लोगों को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना ।
5. लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का संचालन करना । परिवार कल्याण शिविर,ब्लड डोनेशन शिविर,नेत्र शिविर एवं अन्य टीकाकरण शिविर का संचालन करना । असाध्य रोग Covid-19 के प्रति लोगों को जागरूक करना ।
6. समाज में फैली कुरीतियों हत्या,बलात्कार,दहेजप्रथा,नशाखोरी,भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना दलित,अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गो के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहें योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास करना ।
7. ग्रामीण विकास योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराना तथा किसानों के आर्थिक विकास हेतु संसाधन उपलब्ध कराना एवं विभिन्न कार्य को लागू कराना तथा ग्रामीण विकास के तहत कार्य करना । कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, फसल बीमा, पशु बीमा की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना ।
8. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना । महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों अल्पसंख्यक वर्गो के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा, चिकित्सा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना ।

Scanned with CamScanner

9. महिलाओं एवं पूरूषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, आचार, पापड, बरी, चटनी, लाह चुड़ी, मोमबती, अगरबती, पतल पलेट बनाने का प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग, हस्त शिल्प, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।
10. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, महिला शक्तिकरण, बालबाडी, आगनबाड़ी, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र, ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन करना ।
11. महिलाओ और पुरूषों को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, हस्तशिल्प,गुडिया निर्माण एन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र–पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना तथा संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु–पक्षी एवं लावारिश पशु के सरंक्षण हेतु प्रयास करेंगी ।
13. भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहें कौशल विकास प्रशिक्षण एवं स्कील डेभलपमेंट के लिए प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
14. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना तथा संस्था द्वारा आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना ।
15. विकलांग,नेत्रहीन,मूक,वधिर,शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास हेतु कार्य करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना । विकलांगता की रोकथाम हेतु कार्य करना ।
16. लोगों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेलकूद एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना ।
17. देश की एकता एवं अखंडता के लिए लोगों को जागरूक करना एवं इससे संबंधित कार्यक्रमों का संचालन करना ।
18. कला एवं सांस्कृतिक के विकास हेतु नाट्क,नृत्य,वाद,संगीत एवं अन्य प्रशिक्षण देना एवं लोगों को जागरूक करना । समाज में सांस्कृतिक चेतना लाने हेतु संगीतालय,जागरण/लोक मंच का संचालन करना और सरकार द्वारा चलाये जा रहें विभिन्न योजनाओं को कला एवं सांस्कृतिक के माध्यम से आमजन लोगों तक पहूँचाना ।

Scanned with CamScanner